Government have seen the Press Report that appeared in the 'Hindustan Times' dated 5th November, 1995 titled "MNCs destabilising State Governments". The 'Hindu' dated 10th December, 1995, however, does not appear to carry any such statement attributed to the Chief Minister of Maharashtra.

(b) The Government have not received any such report from the state governments, including Rajasthan and Maharashtra.

(c) Does not arise.

हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन

*29. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई नकद प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहन की ऐसी नकद राशि दिए जाने संबंधी नियम क्या हैं और नकद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है;

(ग) क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि देय है। देय प्रोत्साहनों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) प्रोत्साहन राशियों में समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

विवरण

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के फलस्वरूप देय नकद प्रोत्साहनों का संक्षिप्त ब्यौरा। ये प्रोत्साहन तत्संबंधी सरकारी हिदायतों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

1. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देना।

केन्द्रीय सरकार के अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त, 1983 को लागू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत एक निर्धारित मात्रा (हिन्दी में औसतन पांच टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति दिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टाइप करना) में सरकारी कार्य हिन्दी में भी करने वाले अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को क्रमशः 30/- रुपए व 20/- रुपए प्रतिमाह विशेष प्रोत्साहन भत्ता स्वीकार किया जा सकता था।

2. दिनांक 16.8.1987 से इस राशि को दुगना— आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए क्रमशः 60/- रुपए व 40/- रुपए कर दिया गया है।

3. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड-2) में यह सिफारिश की गयी है कि इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि को बढ़ाने के लिए वित्त प्रभाग को भेजा जाए। इस राशि को आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए क्रमशः 200/- रुपए व 100/- रुपए करने का प्रस्ताव व्यय विभाग को विभाग द्वारा भेजा गया। सचिव, व्यय विभाग ने अपने दिनांक 16.3.1995 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि चूंकि इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि में वृद्धि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी इसलिए इन दरों में वृद्धि संबंधी मामला पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रखा जाए। विभाग द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 29.5.1995 को जो सरकारी ज्ञापन भेजा है, उसमें इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

2. सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना।

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन 1974 में यह योजना शुरू की गयी।

इस योजना में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। दिनांक 16.2.1988 से इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से पुरस्कार देय हैं:—

केन्द्र सरकार के वे अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र हैं जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र (अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र (जिसमें 'क' व 'ख' क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखे।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नकद पुरस्कार देय हैं:—

(क) केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:—

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 500/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 300/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 150/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:—

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 400/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 200/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) — प्रत्येक रु० 150/-

3. अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं इस योजना में शामिल हो सकते हैं। सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस योजना को स्वयं चला सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 500/- रुपये का पुरस्कार रखा जा सकता है। पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं। एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "क" तथा "ख" क्षेत्र के अंतर्गत हो और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "ग" क्षेत्र में हो।

बांका और गोड्डा जिलों में एल पी जी एजेंसियां

*30. **श्री जनार्दन यादव:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांका और गोड्डा जिलों में इस समय कितनी एल पी जी एजेंसियां हैं:

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन जिलों के लोगों को एल पी जी की आपूर्ति नहीं की जा रही है और जो भी छिटपुट आपूर्ति की जा रही है, उसे अन्य जिलों से लाना पड़ता है, जिससे भारी कठिनाई होती है; और

(ग) क्या सरकार इन जिलों में नई गैस एजेंसियां खोले जाने को मंजूरी देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैएन सतीश शर्मा): (क) से (ग) वर्तमान समय में बिहार के गोड्डा अथवा बांका जिलों में कोई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत नहीं है।

बांका में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए आशय-पत्र दिसम्बर, 1995 में पहले ही जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर के चयन के लिए गोड्डा के संबंध में विज्ञापन भी दे दिया गया है। आशय पत्र के धारकों द्वारा आवश्यक औपचारिकता पूरी कर दिए जाने के बाद इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शीघ्र ही चालू किए जाने की संभावना है।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाना

*31. **श्री अजीत जोगी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या पासपोर्ट कार्यालय इस संबंध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यसंचालन को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील रहती है। इस बारे में सरकार ने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, कार्यालयी सुविधाओं का उन्नयन जिनमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है, पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से प्रणालियों और कार्यविधियों की समीक्षा,